

9

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

मि०नं०

तारीख दायरा

तारीख फैसला

111/2022

12.07.2022

2.08.2024

पीठासीन अधिकारी— नयन गौतम (आई.ए.एस.)

उनवान

1— गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल आत्मज जगन्नाथ जाति बेरवा निवासी हनोटिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
(वादी)

बनाम

1— राज०सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,इन्द्राज दुररुस्ती

संशोधित निर्णय

वादी ने प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी का प्रस्तुत कर पारित निर्णय दिनांक 27.01.2023 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी में ग्राम हनोटिया की भूमि के खसरा नम्बर सहवन से टाईपिंग में छूट गया जिसे संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय किया जाना उचित है।

वादी की ओर से उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

1— यह कि ग्राम बनेठिया भू०अ०क्षेत्र बूढादीत तहसील दीगोद में खाता नं० 169 नया पुराना नं० 151 पर खसरा नम्बर 582 की 1.07 हेक्टर भूमि वादी व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। नकल जमाबन्दी पेश है।

2— यह कि ग्राम हनोटिया भू०अ०क्षेत्र बूढादीत तहसील दीगोद में खाता नं० 186 नया पुराना नं० 1 पर खसरा नम्बर 64 की 0.40 हेक्टर भूमि वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

3— यह कि उपरोक्त भूमि में ग्राम बनेठिया में वादी का बोलता नाम गोपाल तथा ग्राम हनोटिया में वादी का नाम गोपाल लाल दर्ज कर दिया है जो गलत है जब कि वादी का नाम रामगोपाल है।

4— यह कि वादी का वास्तविक नाम राम गोपाल है तथा घर का बोलता नाम गोपाललाल है इसी कारण राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी का बोलता नाम गोपाल व गोपाललाल दर्ज हो गया। वादी के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड के दस्तावेजात में वादी का नाम रामगोपाल दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल व गोपाल लाल गलत दर्ज होने के कारण वादी को काफी

R. Goutam

मरेशानी आती है। इस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल व गोपाल लाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक है।

5- यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने उसके नाम को दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 5.07.2022 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6- यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम गलत दर्ज करने पर, तथा दिनांक 5.07.2022 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरुस्त नहीं करने पर व दुरुस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे कि:-

1- कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 64 की 0.40 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर गोपाल उर्फ रामगोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2- कि ग्राम बनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 582 की 1.07 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल लाल के स्थान पर गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल दर्ज किया जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-

- 1- नकल जमाबन्दी ग्राम बनेठिया सम्वत 2075-78
- 3- नकल जमाबन्दी ग्राम हनोतिया सम्वत 2073-2076
- 4- नकल छाया प्रति जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड, वोटर आईडी

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार में ग्राम हनोतिया जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में खाता सं0 186 के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.40 हेक्टर में वादी का नाम गोपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज तथा ग्राम बनेठिया की जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता सं0 169 के खसरा नम्बर 582 रकबा 1.07 हेक्टर भूमि में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम वासियान एवं दस्तावेजों के अनुसार गोपाल लाल व रामगोपाल दोनों नाम के एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादी का नाम दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की है। वादी की ओर से साक्ष्य में रामनिवास का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड , अन्य संलग्न दस्तावेज एवं जवाब सरकार तथा बहस अधिवक्ता का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादी के सहखातेदारी भूमि ग्राम बनेठिया में वादी का नाम गोपाल पुत्र जगन्नाथ तथा ग्राम हनोतिया में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान

1. गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल आत्मज जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी हनोटिया
 तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

वादी की ओर से - श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट (प्रतिवादी)
 प्रतिवादी की ओर से - तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर टी एक्ट, इन्द्राज दुरुस्ती
 मिसल नं 111/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हनोटिया जमाबंदी में खाता सं0 186 के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.40 हेक्टर में वादी का नाम गोपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज तथा ग्राम बनेटिया की जमाबन्दी के खाता सं0 169 के खसरा नम्बर 582 रकबा 1.07 हेक्टर भूमि में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। अर्थात् दोनों गांवों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा हिरसा बदस्तूर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार संशोधित डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 2.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपयें	पैसे	मुदालयह	रुप्ये	पैसे
मुदई			स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
कालतनामा			स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह	0	0	महन्ताना	0	0
बूत			वकील	0	0
हन्ताना	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फील			वबत इजराय	0	0
र्चा गवाहान	0	0	हुक्मनामा	0	0
त इजराय	0	0	मुत0	0	0
मनामा	0	0	मिलान	0	0
	0	0			
	0	0			

सहायक क्लर्क
 दीगोद